अपील/07/2022 **न्यायालय जिला कलेक्टर,भरतपुर**

गुलेश पुत्र खजानसिंह जाति ठाकुर निवासी पीपला तहसील व जिला भरतपुर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर .....अपीलान्ट

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्व आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 29–10–2021

उपस्थित :–
1–श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट,
2– राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 27.9.2023

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 29.10.2021 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट अतिक्रमी को आराजी खसरा नम्बर 1730/0.53 गैर मुमकिन रास्ता में से 0.01 हे0 बाके ग्रांम पीपला पर किये गये अतिक्रमण से बेदखल किये जाने एवं शास्ती कायम किये जाने की आज्ञा दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण नही किया है। अपीलान्ट का खातेदारी का खसरा नम्बर 1734 जो कि विवादित आराजी रास्ते से लगा हुआ है कि भूमि पर बाड लगाई है जिससे आबारा पशु फसल को नुकसान नहीं करें। हल्का पटवारी ने बिना किसी पैमाईस के गलत रिपोर्ट की है। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि विवादित आराजी की पैमाईस कराई जावे अगर विवादित आराजी में अपीलान्ट का अतिक्रमण पाया जावे तो वह तुरन्त हटाने को तैयार है। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। विवादित आराजी गांव की आबादी में आती है तहसीलदार को आबादी की भूमि में कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। आबादी की भूमि में ग्रांम पचांयत ही कार्यवाही कर सकती है। तहत न्यायालय ने इकतरफा कार्यवाही की है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी पटवारी हल्का ने दिनांक 13.3.2022 को पैनल्टी जमा कराने को कहा व उसने बेदखली की कार्यवाही के बारे में बताया तब मालूम पड़ा, तब तहसील जाकर अपीलाधीन आदेश की नकल वगे. लेकर अपील जानकारी दिनांक से अन्दर म्याद पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम पेश किया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर बाड लगा कर अतिक्रमण किया है, जो नियम विरुद्व है। तहसीलदार ने विधिवित कार्यवाही करते हुये सही निर्णय पारित किया है। अपील म्याद बाहर पेश की गई है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। रिर्पोट पटवारी एवं गिर्दावर से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने आराजी खसरा नम्बर 1730/0.53 में से 0.01 हे0 गैर मुमकिन रास्ता आम की भूमि में बाड लगाकर अतिक्रमण किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियॉ (गैर मुमकिन रास्ता वगैराह) प्रतिबन्धित श्रेणी में आती हैं। अपीलान्ट का यह कहना कि उसे तहत न्यायालय ने नोटिस नहीं दिया है स्वीकार योग्य नहीं क्यों तहत न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट को धारा 91 एलआर एक्ट की तहत नोटिस जारी किया गया है जिसकी प्राप्ती पर स्वयं अपीलान्ट गुलेशचन्द के प्राप्ती के हस्ताक्षर हो रहे हैं। योग्य अभिभाषक ने सिवाय मौखिक कथनों के ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेदी हमारे समक्ष पेश नहीं किया जिससे विवादित आराजी आबादी में होना माना जासके। विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता है जिस पर अपीलान्ट ने बाड लगा कर अतिक्रमण किया है। जहॉ तक प्रश्न पैमाईस का है अपीलान्ट स्वंय की खातेदारी खसरा नम्बर की पैमाईस कराने को स्वतन्त्र है। प्रथमतः हमने प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। जैसा कि आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में प्रतिपादित किया है कि :–

Limitation Act, 1963, S.5 - Dismissal of appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case - Legality of-Held, now it must be taken as well settled Principal of law that before rejecting applications u/s 5, and dismissing appeals as time-barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeal and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits. (Para 19)

आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

(A) " Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय में प्रतिपादित किया है कि :–

L. RS. OF ROOP NARAIN V. STATE OF RAJ. - (186) Revision No. 101/Alwar of 86, decided on 15th June, 1992.

(A) Rajasthan Tenancy Act, Section 16 - Land under gair mumkin Rasta is land held for a public purpose - No khatedari rights can accrue thereon. (Para 7)

(B) Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Rules 4 & 20 - Land under gair mumkin rasta can neither be regularised nor can khatedari rights accru thereon irrespective of the duration of trespass. (Para 7)

उपरोक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण किया है। तहसीलदार भरतपुर ने अपीलान्ट/अतिक्रमी के विरुद्व नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये एवं अपीलान्ट की सुनवाई अवसर देते हुये अपीलाधीन निणर्य पारित किया है। जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत तहसीलदार भरतपुर को वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर